विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-30/17

मेसर्स रवि ट्रेडर्स, — आवेदक
द्वारा – श्री जितेन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री नेमीचंद्र गुप्ता,
ग्राम – खेड़ा तह0 इटारसी, जिला – होशंगाबाद (म.प्र.) ।

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (सं./सं) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इटारसी (म.प्र.) ।

आदेश

(दिनांक 13.03.2018 को पारित)

01. मेसर्स रवि ट्रेडर्स द्वारा – श्री जितेन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री नेमीचंद्र गुप्ता, ग्राम – खेड़ा तह0 इटारसी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक बी.टी./09/2017 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 02.11.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–30/17 में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03. विद्युत लोकपाल कार्यालय में इस प्रकरण के तहत दिनांक 15.11.2017 को सुनवाई हेतु उभयपक्षों को बुलाया गया । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया कि उन्हें किसी अन्य प्रकरण में अन्य न्यायालय में उपस्थित होना है, अतः वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, अतः नवीन तिथि देने हेतु अनुरोध किया गया ।

04. अनावेदक की ओर से श्री डेलन पटेल, सहायक यंत्री उपस्थित हुए तथा उन्होंने आवेदक की अपील पर लिखित उत्तर दिया ।

05. आवेदक के अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण में सुनवाई की तिथि 05.01.2018 निश्चित की गई ।

06. सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन जिसका स्वीकृत भार 50 हा0पा0 है ग्राम खेड़ा, तह0 इटारसी, जिला होशंगाबाद में स्थित है । आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर जल जाने पर अन्य मीटर दिनांक 24.04.2014 को लगाया गया, जिसका S.No. 27942 था ।

07. दिनांक 27.10.2016 को चैकिंग के दौरान उपरोक्त मीटर द्वारा 2 फेज पर खपत दर्ज नहीं करने के कारण दिनांक 03.11.2016 को पुनः मीटर बदल दिया गया । आवेदक द्वारा 24.04.2014 से 27.10.2016 की अवधि में मीटर द्वारा 2 फेज पर कम खपत दर्ज करने पर उन्हें रू0 11,34,437/– का बिल जारी किया गया, जिसको चुनौती देने पर अनावेदक द्वारा आवेदक से रू0 2,26,890/– जमा कराए गए । लाईसेंसी के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा उनका आवेदन स्वीकार करने के पश्चात् अनुपूरक बिल जो कि पूर्व में रू0 11,34,437/– था, को संशोधित कर रू0 4,31,292/– किया गया ।

08. आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति ली गई है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 एवं धारा 8.15 में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण न करके अनावेदक द्वारा उनके यहां मीटर लगाया गया है । अनावेदक द्वारा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के न्याय दृष्टांत के आधार पर लाईसेंसी केवल 6 महीने से अधिक की अवधि का अतिरिक्त बिल नहीं दे सकता है, अतः आवेदक के विरूद्ध की गई बिलिंग को निरस्त किया जाए ।

09. आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार अनावेदक जुलाई 2014 से नवम्बर 2015 तक की अवधि की राशि की मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि इस अवधि में आवेदक द्वारा दिए गए विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से किया गया है । अतः आवेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय के दृष्टांतों एवं विद्युत प्रदाय संहिता की धाराओं के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक द्वारा निकाली गई रिकवरी को निरस्त करने, जमा की गई राशि को वापस करने हेतु एवं उन्हें रू0 10,000/– खर्चे के रूप में वापस दिलाए जाने हेतु अनुरोध किया है ।

10. **अनावेदक द्वारा आवेदक की अपील के संबंध में नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत किया :–**

आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय–दृष्टांतों एवं विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का लागू होना एवं अधिनियम में त्रुटिगत् मीटर/सी.टी. के विरूद्ध सिर्फ 6 माह की बिलिंग की जानी है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 एवं 8.15 का पूर्णतः पालन करने के उपरांत आवेदक के यहां मीटर स्थापित किया गया। आवेदक के परिसर में 2013 में स्थापित मीटर के डिफेक्टिव बताने पर एक अन्य सेम मीटर कम्पनी ने जिसका S.No. 27942 लगाया गया था (E.O.-2) । आवेदक के परिसर का दिनांक 27.10.2016 को निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त मीटर पर

2 फेज पर खपत दर्ज नहीं हो रही है (E.O.-3) । उपरोक्त विवादित मीटर दिनांक 03.11.2016 को बदल दिया गया ।

11. अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त संशोधित बिल उन्हें जुलाई 2014 से अगस्त 2016 तक की अवधि में मीटर द्वारा 2 फेज पर खपत दर्ज नहीं की जाने पर पूरक बिल दिया गया है, जब कि विवादित मीटर की MRI लेने पर यह स्पष्ट हुआ कि मीटर दिनांक 11.07.2014 से (E.O.-1) से टैम्पर रिकार्ड होने पर जिसमें की करंट ट्रांसफार्मर (Current Transformer) ओपन होना दर्शाया है, के आधार पर किया गया है ।

12. अनावेदक द्वारा बताया गया कि माह जुलाई 2014 से अक्टूबर 2016 तक कि अवधि का पूरक बिल राशि रू0 11,34,437/– का जारी किया गया था, जो कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत बिल पुनः संशोधित कर रू0 4,31,292/– का दिया गया ।

14. अनावेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 10(2.2) के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 126 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत बिलिंग की जाती है, परन्तु इस प्रकरण में मीटर डिफेक्टिव है, इसलिए विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.35 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त बिल दिए जाने का प्रावधान है ।

15. अनावेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार :– *56(2) "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity."*

चूंकि इस प्रकरण में दिनांक 27.10.2016 को प्रथम बार परीक्षण के दौरान मालूम पड़ा कि मीटर द्वारा 2 फेज पर खपत दर्ज नहीं हो रही है (E.O.-3) एवं जिसकी पुष्टि MRI द्वारा दिनांक 27.10.2016 को की गई (E.O.-1) । तद्नुसार आवेदक को पूरक बिल जारी किया गया, अतः इस प्रकरण में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) लागू नहीं होगा, क्योंकि मीटर में त्रुटि मालूम होने पर की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर ही अतिरिक्त बिल की वसूली हेतु नोटिस आवेदक को जारी किया जा चुका था ।

16. आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में अप्रैल, मई, जून 2014 के खपत की औसत के आधार पर जुलाई 2014 से नवम्बर 2016 तक की अवधि में लिए पूरक बिल दिया गया था, चूंकि इस अवधि में अप्रैल, मई, जून 2014 से आवेदक के खपत के अनुसार मीटर द्वारा अधिक खपत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर ही उनके द्वारा मीटर बदलवाया गया था, अतः इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त विवादित मीटर बदलने के दिनांक 03.11.2016 को उपरान्त नए मीटर द्वारा लगातार 3 माह में दर्ज खपत के औसत के आधार पर बिल पुनः संशोधित किया गया है जो कि उचित एवं विद्युत प्रदाय संहिता

2013 की धारा 8.35 के प्रावधानों के अनुकूल है अतः आवेदक की अपील निरस्त की जाएं (E.O.-5) ।

17. **उपरोक्त दोनों पक्षों के लिखित बहस एवं सुनवाई के दौरान दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है :–**

(1) आवेदक का एक विद्युत कनेक्शन ग्राम खेड़ा, तह0 इटारसी, जिला – होशंगाबाद में स्थित है, जिसका कि स्वीकृत भार 50 हा0पा0 है । आवेदक के यहां दिनांक 24.04.2014 को एक अन्य मीटर जिसका S.No. 27942 है, लगाया गया (E.O.-2) । आवेदक के परिसर का दिनांक 27.10.2016 को निरीक्षण किया गया । मीटर के परीक्षण के समय यह पाया गया कि मीटर द्वारा 2 फेज पर विद्युत खपत दर्ज नहीं हो रही है (E.O.-3) ।

(2) मीटर की MRI दिनांक 27.10.2016 को करने पर यह पाया गया कि मीटर में दिनांक 11.07.2014 को टैम्पर संकेत जिसमें की मीटर की सी.टी. ओपन होना दर्शाया दर्ज हुआ है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि मीटर द्वारा दिनांक 11.07.2014 से 27.10.2016 तक 2 फेज पर विद्युत खपत दर्ज नहीं की गई है, जबकि आवेदक द्वारा मीटर द्वारा दर्ज खपत से अधिक विद्युत का उपयोग किया गया है ।

(3) आवेदक के विरूद्ध विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार नया मीटर जो कि 03.11.2016 को लगाया गया था द्वारा दर्ज 3 माह की खपत के औसत आधार पर बिल पुनः संशोधित कर जारी किया गया है ।

(4) विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 8.15 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें कि नियमित अंतराल में मीटर परीक्षण करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार मीटर स्थापित करने की तिथि से 5 वर्ष के अंदर परीक्षण किया जाना है । इस प्रकरण में विवादित मीटर दिनांक 24.04.2014 को लगाया गया था, जिसका परीक्षण दिनांक 27.10.2016 को किया गया अर्थात् मीटर लगाने के 2½ वर्ष पश्चात् ही मीटर का परीक्षण किया गया, जिसमें कि पाया गया था कि मीटर द्वारा 2 फेज पर विद्युत खपत दर्ज नहीं की जा रही है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 8.15 के प्रावधानों का पालन किया गया है ।

(5) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 का अवलोकन करने पर पाया गया कि :

126*(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है तो उस पूरी अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, निर्धारण किया जाएगा तथा यदि, तथापि अवधि जिसके दौरान ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है पता नहीं लगाई जा सकती, ऐसी अवधि, निरीक्षण के दिनांक से तुरन्त पूर्वगामी बारह मास की अवधि तक सीमित होगी ।*

(6) उक्त धारा के अनुसार, यदि यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि विद्युत का दुरूपयोग किस तिथि से किया जा रहा है तब उस दशा में एक साल से अधिक अवधि का बिल संशोधित नहीं किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकरण में मीटर द्वारा 2 फेज पर खपत दिनांक 11.07.2014 से दर्ज नहीं हो रही थी, जिसकी पुष्टि दिनांक 27.10.2016 को MRI करने से हो गई थी । अतः इस परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय जिसमें कि अतिरिक्त पूरक बिलिंग 6/12 माहों से अधिक की अवधि की नहीं की जा सकती, इस प्रकरण पर लागू नहीं होती ।

(7) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की धारा 10(2.2) के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2013 की धारा 126/135 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत बिलिंग किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है । परन्तु इस प्रकरण में मीटर आंतरिक खराबी के कारण त्रुटिग्रस्त हो गया था तथा किस दिनांक से मीटर त्रुटिग्रस्त हुआ है, इसकी जानकारी मीटर के MRI करने से प्राप्त हो गई है, अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार अतिरिक्त पूरक बिल आवेदक को दिया गया, जो कि उचित एवं नियमानुसार है ।

(8) मीटर में आंतरिक त्रुटि आने की प्रथम बार जानकारी मीटर परीक्षण की तिथि 27.10.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार वाचक को अतिरिक्त पूरक बिल जमा करने हेतु दिया गया । अतः इस प्रकरण में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त वसूली की मांग 2 वर्ष की समयावधि में की गई है ।

(5) यद्यपि इस प्रकरण में मीटर द्वारा केवल एक फेज पर दर्ज खपत के अनुरूप आवेदक को विद्युत बिल जारी किया जाता रहा एवं जिसका भुगतान भी आवेदक द्वारा किया गया है, परन्तु यह बिल आवेदक द्वारा वास्तविक विद्युत खपत किए जाने के अनुरूप नहीं था, अतः आवेदक को अतिरिक्त बिल रू0 4,31,292/– का दिया गया है जो कि उचित एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के प्रावधानों के अनुरूप है । **अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिए गए निर्णय को यथावत् रखा जाता है ।**

आवेदक को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके परिसर में लगे हुए मीटर द्वारा 2 फेज पर खपत नहीं दर्ज की जा रही है और आवेदक उनको दिए गए नियमित मासिक बिलों का भुगतान करता रहा, परन्तु बाद में उन्हें अतिरिक्त पूरक बिल पिछले 27 माहों की अवधि का दिया गया, जिसका भुगतान एक साथ किए जाने को निश्चित रूप से आवेदक को परेशानी होगी । अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि आवेदक से शेष राशि का भुगतान 13 मासिक किस्तों में नियमित विद्युत देयकों के साथ लिया जाए ।

अतः आदेशित किया जाता है कि :–

(i) अनावेदक आवेदक से शेष राशि का भुगतान 13 मासिक किस्तों में नियमित मासिक विद्युत देयकों के साथ लेगा ।

(ii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

(iii) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो ।

(iv) आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल